RTI

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

श्री देवेन्द्र कुमार,
आईआईए–भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 938 /एसआईडीसी/ I-A/RTI/Vol-4-G2B दिनांक 18-8-11

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना के विषय मे।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.8.11 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपने मेन्टीनेन्स लेवी में छूट विषयक निगम के आदेश की प्रति वांछित की है।

तत्क्रम में सन्दर्भित आदेश संख्या 2706–10/एसआईडीसी/आईए/एचओ/न्याय पंचायत दिनांक 17.02.09 की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करे।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त

(डी० के० गर्ग)
प्रभारी (औ० क्षे०)

संख्या एसआईडीसी–आईए–आरटीआई–वाल्यूम–4 दि०

1. प्रतिलिपि उप महा प्रबन्धक, परि० को उनके पत्र संख्या 584/एसआईडीसी/आरटीआईसेल/आरटीआई–934 दिनांक 09.8.11 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री हिमॉशु मिश्रा, प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी० के० गर्ग)
प्रभारी (औ० क्षे०)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
दूरभाष : 2582851–53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

फैक्स/कोरियर द्वारा

सन्दर्भ सं0 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ दिनांक

कार्यालय आदेश

समय समय पर उद्यमियों/उद्यमी संघों द्वारा दोहरे कराधान की समस्या को विभिन्न फोरम पर उठाया जाता रहा है। शासन द्वारा शासनादेश सं0 3990/नौ–9–2001–21ज/99 दिनांक 14.12.2001 के द्वारा नगर निकायों को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों(जो शासनादेश में इंगित हैं) के रख–रखाव नगर निकायों को प्राप्त कर से कराने हेतु निर्णय लिया जा चुका है।

उपरोक्त को दृष्टिगत कर निगम के निदेशक मण्डल ने अपनी 265वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि निगम द्वारा नगर निकायों को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में न तो कोई रख–रखाव का कार्य किया जाये और न ही इन क्षेत्रों से कोई रख–रखाव शुल्क लिया जाये जैसा कि शासनादेश संख्या 3990/नौ–9–2001–21ज/99 दिनांक 14.12.2001 में निर्दिष्ट है(छायाप्रति संलग्न)। अन्य क्षेत्रों में रख–रखाव शुल्क यथावत लिया जाये एवं उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा प्राप्तियों के अनुसार ही क्षेत्रवार रख–रखाव का कार्य किया जाता रहेगा। यह नीति दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी होगी।

संलग्नक: उक्त शासनादेश सूची सहित।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं0 2706–10 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/न्याय पत्रावली दिनांक 17/2/09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0 रा0 औ0 वि0 नि0 लि0, कानपुर को सुलभ सन्दर्भ हेतु।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0 रा0 औ0 वि0 नि0 लि0, कानपुर को सुलभ सन्दर्भ हेतु।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता/क्षेत्र प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 औ0 वि0 नि0 लि0,.. ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0 क्षे0 अनुभाग, उ0 प्र0 रा0 औ0 वि0 नि0 लि0, कानपुर।
5. उप प्रबन्धक(कम्प्यूटर), उ0 प्र0 रा0 औ0 वि0 नि0 लि0, कानपुर।
6. गार्ड फाईल।

(तपेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संख्या-3990/नौ-9-2001-213/99

प्रबन्ध निदेशक कैम्प कार्यालय
पत्रांक 3123
दिनांक 11-1-2002

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

प्रबन्ध निदेशक कैम्प कार्यालय
पत्रांक 7062
दिनांक 10/1/02

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त,
आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, बस्ती आजमगढ़ ।

(2) जिलाधिकारी,
आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, उन्नाव, मथुरा, रायबरेली, लखनऊ ज्योतिबाफूलेनगर, बरेली, गोरखपुर, संतकबीरनगर, मऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2001

विषय:- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन पर नगरीय निकाय की सीमा के भीतर पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की व्यवस्था के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, लखनपुर कानपुर के अर्द्धशा0प0सं0-1721/एस.आई.डी.सी./सी.पी.सी./सेट/414, दिनांक-5.10.2001 के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकाय की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को (संलग्न सूची के अनुसार) उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया जाय, जिनमें नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता, रखरखाव तथा विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकाय द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले विभिन्न कर/यूजेज चार्जेज एक अलग खाते में जमा किये जाएंगे, जिसकी 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के भीतर ही नागरिक सुविधाओं की पूर्ति, रख रखाव व विकास पर खर्च किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र के बाहर निकायों द्वारा किया जाएगा ।

3. यदि नगर निकाय द्वारा वर्तमान सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व व रख-रखाव का दायित्व औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाय तो उपरोक्तानुसार 60 प्रतिशत करों की आय निकायों द्वारा उक्त प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाएगी यदि परिसम्पत्तियों का रख-रखाव स्थानीय निकाय द्वारा

— 2

!2!

जाएगा तो उस स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा स्वयं ही उक्त धनराशि से विभिन्न नागरीक सुविधाओं का रख-रखाव किया जाय ।

4. औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक विकास कार्यों व उनके रख-रखाव हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति में संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य रहेंगे।

संलग्नक - यथोपरि ।

भवदीय,

!जे.एस. मिश्र!
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

!1!. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक- 5.10.2001 के क्रम में ।

!2!. सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ०प्र० शासन ।

!3!. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यु, लखनऊ ।

!4!. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ ।

!5!. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

!6!. मुख्यमंत्री कार्यालय !घोषणा अनुभाग! ।

!7!. संबंधित नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत ।

आज्ञा से,

!सुधीर कुमार श्रीवास्तव!
विशेष सचिव।

संलग्नक-'घ'

सूची

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	नगर निकाय का नाम
1–	औ०क्षेत्र फाउण्ड्री नगर, आगरा	नगर निगम, आगरा
2–	औ०क्षेत्र सिकन्दरा साईट– ए एवं बी, आगरा	—तदैव—
3–	औ०क्षेत्र सिकन्दरा साईट–सी, आगरा	—तदैव—
4–	औ०क्षे० उधोगकुंज, गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद
5–	औ०क्षे० लोहामण्डी, गाजियाबाद	—तदैव—
6–	औ०क्षे० एस.एस.जी.टी. रोड, गाजियाबाद	—तदैव—
7–	औ०क्षे० सेक्टर–17 गाजियाबाद	—तदैव—
8–	औ० क्षेत्र सेक्टर–22, मेरठ रोड गाजियाबाद	—तदैव—
9–	औ०क्षेत्र साईट–7, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	—तदैव—
10–	औ०क्षेत्र लोनी रोड साइट–2 गाजियाबाद	—तदैव—
11–	औ०क्षेत्र मेरठ रोड साइट–3, गाजियाबाद	—तदैव—
12–	औ०क्षेत्र लोनी साइट–4, गाजियाबाद	—तदैव—
13–	औ०क्षेत्र आस्थान लोनी, गाजियाबाद	—तदैव—
14–	औ०क्षेत्र पनकी साईट–1 कानपुर	नगर निगम, कानपुर
15–	औ०क्षेत्र पनकी साईट–2 कानपुर	—तदैव—
16–	औ०क्षेत्र पनकी साइट–3, कानपुर	—तदैव—
17–	औ०क्षेत्र पनकी साइट–4, कानपुर	—तदैव—
18–	औ०क्षेत्र, पनकी साइट–5, कानपुर	—तदैव—
19–	औ०क्षेत्र परतापुर, मेरठ	नगर निगम, मेरठ
20–	औ०क्षेत्र एस.जी. काम्प्लेक्स, मेरठ	—तदैव—
21–	औ०क्षेत्र उधोगपुरम, मेरठ	—तदैव—
22–	औ०क्षेत्र उन्नाव साइट–1	उन्नाव नगर पालिका
23–	औ०क्षेत्र उन्नाव साइट–2	—तदैव—
24–	औ०क्षेत्र उन्नाव आवासीय	—तदैव—
25–	औ०क्षेत्र मथुरा, साइट–ए, मथुरा	नगर पालिका, मथुरा
26–	औ०क्षेत्र रायबरेली साइट–1	नगर पालिका, रायबरेली
27–	औ० क्षेत्र रायबरेली, साइट–2	—तदैव—
28–	औ०क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ
29–	औ०क्षेत्र अमौसी, लखनऊ	—तदैव—
30–	औ०क्षेत्र गजरौला, साइट–1, गजरौला	नगर पालिका, गजरौला
31–	औ०क्षेत्र गजरौला, साइट–2, गजरौला	—तदैव—
32–	औ०क्षेत्र परसाखेड़ा, बरेली	नगर निगम, बरेली
33–	औ०क्षेत्र गोरखपुर, गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर
34–	औ०क्षेत्र खलीलाबाद, संतकबीरनगर	नगर पालिका, खलीलाबाद
35–	औ० क्षेत्र मऊ, मऊ	नगर पालिका, मऊ

U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP. LTD.
A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208 024

BREAK-UP-SHEET

Ref. No....941.../SIDC/HO/...RTI/May-4-G28 **Dated**...18.8.11

Finance Controller,
UPSIDC Limitecd,
A-1/4, Lakhanpur,
Kanpur.

Kindly find enclosed herewith IPO No 88E 856203 Dated 06.05.11, amounting to Rs. 10/- (Rs Ten each) received from Sri. Devedra Kumar, IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow in reference to Right to Information Act-2005

1.	Application/Processing Fee	Rs. 10.00
2.	Earnest Money	Rs.
3.	Reservation Money	Rs.
4.	Adv. Premium/Premium	Rs.
5.	Interest(from..................to..................)	Rs.
6.	Lease Rent	Rs.
7.	Restoration Levy	Rs.
8.	Water Charges	Rs.
9.	Transfer Levy	Rs.
10.	Adv. rent for Suit No.........	Rs.
11.	Maintenance Levy	Rs.
12.	Suspense A/c	Rs.
	Total Amt.	**Rs. 10.00**

Encl: As above.

Dy. Manager (I.A.)

Ref. No....942.../SIDC/HO/........................ **Dated**.............

Copy forwarded to Sri. Devendra Kumar, IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow in reference to letter Dt. 02.08.11 for information .

Dy. Manager (I.A.)